न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 115/2014
प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 जा.दी.
निर्णय दिनांक 03.03.2020

देवकीनंदन वगैरा बनाम पुष्कर वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 जा.दी. निर्णय दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत दावा अंतर्गत 88,89,188 आर.टी.ए. में इस आशय का पेश किया कि उक्त वादपत्र में तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल पुत्र धारूराम जाति पंजाबी निवासी कस्बा नदबई हाल दिल्ली की मृत्यु दिनांक 03.10.2015 वामुकाम दिल्ली में हो चुकी है। जिनके वारिसान 1. संजय 2. महेन्द्र पुत्र श्यामलाल जाति पंजाबी खत्री निवासी रोहणी नगर सैक्टर 7, दिल्ली हैं। तथा तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल से वादी ने किसी प्रकार की कोई रिलीफ नही चाही है। प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल दिल्ली में रहता है, तथा वादी/प्रार्थी को उसके कायम मुकाम बनाने की कोई जानकारी नहीं है। क्योंकि पूर्व में उक्त वादपत्र में वादी सं. 1 देवकीनंदन जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वही पैरवी करता था। परंतु दिनांक 10.07.2019 को उक्त मुकदमे वादी/प्रार्थी जब अपने वकील साहब के पास आया तो वकील साहब ने बताया कि श्यामलाल प्रतिवादी स. 6 की तलवी नहीं हो पा रही है। इस पर मुझ प्रार्थी ने अपने वकील साहब से कहा कि श्यामलाल की मृत्यु तो पूर्व में हो चुकी है। इस पर वकील साहब ने कार्यवाही करने को कहा इस हेतु प्रार्थी दिल्ली गया व वहां जाकर उनकी मृत्यु की जानकारी की एवं मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने की कोशिश की इस पर प्रार्थी बिना किसी देरी किये उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान में पेश किया, तथा जानकारी की तिथी से प्रार्थना पत्र अंदर म्याद है। इसके लिये प्रार्थी अलग से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट पेश किया, तथा प्रार्थना कि प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल मृतक के स्थान पर उनके वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जावें।

वकील अप्रार्थी/प्रति ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत जबाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सीधी बहस प्रार्थना पत्र किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 सीपीसी व धारा 151 जाब्ता दीवानी के सुनी गयी। प्रार्थी वकील ने दौराने बहस कहा कि उक्त वाद पत्र में तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल की मृत्यु दिनांक 03.10.2015 को वामुकाम दिल्ली में हो चुकी है। जिनके वारिसान को मुकदमा पक्षकार बनाया जाना है, तथा तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल से कोई किसी प्रकार की रिलीफ नहीं चाही गयी है, तथा दिल्ली में रहता था। वादी /प्रार्थी को उनके कायम मुकाम बनाने की कोई जानकारी नहीं थी। क्योंकि पूर्व में वादी स. 1 देवकीनंदन की मृत्यु हो चुकी थी तथा वादी सं. 1 ही उक्त मुकदमे की पैरवी करता था, तथा पत्रावली में प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल की तलवी नहीं होने के कारण श्यामलाल की मृत्यु के बारे में जानकारी की गयी, तथा जानकारी से ही मृत्यु की तारीख जानकारी कर बिना किसी देरी से प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जानकारी तिथि से अंदर म्याद पेश किया गया। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी स. 6 के वारिसानों को रिकॉर्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करें।

उप खण्ड अधिकारी
नदबई भरतपुर (राज.)

Scanned with CamScanner

[illegible]ल प्रतिवादी/अप्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रतिवादी स. 6 श्यामलाल की मृत्यु दिनांक [illegible]को ही हो चुकी है, तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.08.19 को पेश किया गया जो [illegible]चार साल बाद पेश किया गया हैं, तथा प्रतिवादी सं. 6 का दिल्ली रहना भी बताया है, वादी सं. [illegible] मृत्यु मुताबिक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 दिनांक 08.11.16 को पेश किया गया जिसमें भी [illegible]ल्ली में होना भी बतायी, साथ ही वादी सं. 2 दिल्ली रहना भी बताया। यदि प्रतिवादी सं. 6 से रिलीफ नही चाही है, तो वादी को प्रतिवादी सं. 6 को दावे से तर्क कराया जाना चाहिये था। जो वादी द्वारा नही किया गया है, तथा वादी सं. 1 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.18 को स्वीकारा है, तथा संशोधित शीषक भी पेश किया गया। इस प्रकार वादी को प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी थी। प्रार्थी द्वारा देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया है, प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु के बाद लगभग 5–6 तारीख पेशीयां भी प्रकरण में दी गयीं थी, तथा प्रतिवादी सं. 6 से कोई रिलीफ भी नहीं चाही गयी तो प्रार्थी को प्रतिवादी सं. 6 को दावे से तर्क करना चाहिये था। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा पूर्ण रूप से जानकारी होने के बाबजूद भी प्रकरण में जानबूझकर प्रकरण में देरी की गयी है। इसलिये दावा अवेटमेन्ट में खारिज किया जावे।

हमने दोनों विद्वान वकीलों की बहस को सुना बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत मृतक तरतीवी प्रतिवादी सं. 6 श्यामलाल पुत्र धारूराम जाति पंजाबी कस्बा नदबई हाल दिल्ली के बाबत् पेश किया गया। प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु दिनांक 03.10.15 को होना बताया है, तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.19 को पेश किया गया है जो लगभग 3 साल 09 माह बाद पेश किया गया, तथा प्रार्थी द्वारा देरी का कोई उचित कारण भी नहीं बताया गया है, तथा वादी द्वारा प्रति सं. 6 को दिल्ली रहना भी बताया गया है, तथा वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 6 से काई रिलीफ भी नहीं चाही गयी है, वादी सं. 1 की मृत्यु मुताबिक प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 दिनांक 08.11.16 को दिल्ली में होना भी बतायी है। अर्थात प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु के लगभग 1 साल बाद मृत्यु हुयी है। जिस दौरान उक्त पत्रावली में लगभग 5–6 पेशी प्रकरण में हुयी हैं, साथ ही वादी सं. 2 दिल्ली रहना भी बताया। यदि प्रतिवादी सं. 6 से रिलीफ नही चाही है, तो वादी को प्रतिवादी सं. 6 को दावे से तर्क कराया जाना चाहिये था। जो वादी द्वारा नही किया गया है, तथा वादी सं. 1 का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 19.01.18 को स्वीकारा है, लेकिन लगभग 15 तारीख पेशी बाद जो 1 वर्ष बाद दिनांक 18.02.20 को संशोधित शीर्षक पेश किया गया। इस प्रकार वादी को पूर्ण रूप से प्रतिवादी सं. 6 की मृत्यु के बारे में जानकारी थी। वादी द्वारा जानबूझकर प्रकरण में देरी की गयी। अतः वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व धारा 151 जाब्ता दीवानी के तहत खारिज योग्य है। अतः दावा वादी दावा अवेटमेन्ट में खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(विनोद कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नदबई(भरतपुर)

Scanned with CamScanner